कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

क्रं. 54 /एक–11–1/85 दमोह दि. 18 जून 2025

::– संशोधित कमेटी आदेश –::

कमेटी आदेश क्रं. 45/एक–11–1/85 दमोह दिनांक 05.05.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

कमेटी क्रं. 01 (Grivanes Redressal Committee) में सचिव सुश्री दिव्या रामटेके, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड दमोह विलोपित करते हुये कु. अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड दमोह अंतःस्थापित किया जाता है।

उक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(पी.सी.गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.

पृ. क्रं. 2108/एक–11–1/85 दमोह दि. 18 जून 2025

आदेशानुसार प्रतिलिपिः–

समस्त समिति अध्यक्ष/सदस्य/सचिव दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह, शीघ्र लेखक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते– प्रधान जिला एवं सत्र न्याया.
दमोह म.प्र.